

137
18/4/12

श्रीमतेयम्
18/4

विधानसभा प्रश्न
अतिआवश्यक

यू.ओ.नोट

विषय:- विधान सभा प्रश्न संख्या 4697 / विधि एवं विधिक कार्य अतारांकित
द्वारा श्री रमेश चन्द्र मीणा (35) विधान सभा सदस्य

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा प्रश्न संख्या 4697 / विधि एवं विधिक कार्य
अतारांकित द्वारा श्री रमेश चन्द्र मीणा (35) विधान सभा सदस्य के बिन्दू संख्या 1 व 2
निम्नानुसार अंकित है -

- 1- न्यायालय के निर्णय के अनुसार किये गये भुगतान में वर्ष 2009-10 व 2010-11
एवं 2011-12 में एक लाख से अधिक का भुगतान किस-किस को किया गया ?
- 2- उक्त भुगतान के कारण जिम्मेदार कारणों की पुर्नवृत्ति रोकने हेतु क्या-क्या कदम
उठाये ?

बिन्दू संख्या 1 और 2 से सम्बंधित सूचना समस्त अनुदानित महाविद्यालयों से
प्राप्त कर विधि अनुभाग को दिनांक 20.4.2012 तक उपलब्ध कराने का श्रम करावें ।
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

उपविधि परामर्शी,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा राज.जयपुर

कमांक: एफ.16(वि.प्र.)विधि/निकाशि/2012/ 57-58

दिनांक 17-4-12

प्रतिलिपि -आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय कालेज शिक्षा,जयपुर को भेजकर निवेदन है
कि विधान सभा प्रश्न संख्या 4697 के बिन्दू संख्या 1, 2 की निदेशालय से सम्बंधित सूचना विधि
अनुभाग को दिनांक 20.4.2012 तक उपलब्ध कराने का श्रम करावें । इसे सर्वोच्च
प्राथमिकता प्रदान करें ।

श्रीमतेयम् -

उपविधि परामर्शी,

- (1) समस्त पूर्व अनुदानित महाविद्यालय, राजस्थान को
भेजकर निवेदन है कि विधान सभा प्रश्न संख्या 4697
के बिन्दू संख्या 01 व 02 की सूचना दिनांक 19-04-12
तक जैविक द्वारा निजवाने का श्रम करावें ।
- (2) डॉ. धीरेन्द्र देवी, व्याख्याता वेबसाइट पर अपलोड करें ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
आयुक्तालय कालेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर